राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(02)न्याय/2023 जयपुर दिनांक 02.06.2025

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित नवसृजित न्यायक्षेत्रों में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के नये न्यायालय स्थापित करती है, जिनकी बैठक का स्थान एवं क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होंगे:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार	जिला न्यायालय जिसके अधीन होगा
1	2	3	4	5
1	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, फलौदी	फलौदी	सम्पूर्ण राजस्व जिला फलौदी	फलौदी
2	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, डीडवाना	डीडवाना	सम्पूर्ण राजस्व जिला डीडवाना-कुचामन	डीडवाना
3	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, खैरथल	खैरथल	सम्पूर्ण राजस्व जिला खैरथल-तिजारा	खैरथल
4	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, ब्यावर	ब्यावर	सम्पूर्ण राजस्व जिला ब्यावर	ब्यावर
5	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बालोतरा	बालोतरा	सम्पूर्ण राजस्व जिला बालोतरा	बालोतरा
6	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, डीग	डीग	सम्पूर्ण राजस्व जिला डीग	डीग
7	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, कोटपूतली	कोटपूतली	सम्पूर्ण राजस्व जिला कोटपूतली-बहरोड	कोटपूतली
8	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सलूम्बर	सलूम्बर	सम्पूर्ण राजस्व जिला सलूम्बर	सलूम्बर

राज्यपाल के आदेश से,

02.6.25

(ब्रजेन्द्र जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, फलौदी/डीडवाना-कुचामन/खैरथल-तिजारा/ब्यावर/बाडमेर/डीग/कोटपूतली-बहरोड/ सलूम्बर।
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. एसीपी (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

02.6.25

(अंकित रमन)

संयुक्त शासन सचिव